10-07-15

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

|| संकल्प ||

विषयः– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 8025 दिनांक 21.05.2013 द्वारा सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधीन सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर एक वर्ष में नियमित नियुक्ति कर लिए जाने हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ भी की जा चुकी है। परंतु कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सारी नियुक्तियाँ हो पाना संभव नहीं प्रतीत होता है; यद्यपि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, परंतु नियमित नियुक्तियों में संभावित अपरिहार्य विलम्ब की अवधि में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

3. इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा समयक विचारोपरांत विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा पर लिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रकिया निर्गत किया जा चुका है। कालान्तर में उक्त संकल्प की समीक्षा के कम में उसके कतिपय प्रावधानों के वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक हो जाने के कारण सरकार द्वारा उक्त संकल्प एवं उसके तहत् निर्गत अन्य संकल्पों/आदेशों को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :–

(1) सभी विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवा निवृत्त अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को इस संकल्प की अधोलिखित उप–कंडिकाओं के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा।

परंतु **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा **संलग्न अनुसूची** में उक्त पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अलग से की जा सकेगी।

(2) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगे:–

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन एवं

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन।

(क) <u>भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन</u>।– (i) संकल्प की **संलग्न अनुसूची** में वर्णित पद से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के चयन के लिए इस संकल्प की कंडिका– 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागों/कार्यालयों के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं हाने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चूँकि जिस पद से सरकारी सेवक (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत्त हो रहें हैं, उनका चयन पुनः उसी पद पर किये जाने से संकल्प संख्या–117 दिनांक– 30.09.1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा अतः ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का नियोजन अन्य विभाग एवं जिला में किये जाने से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की आवश्यकता होगी। ऐसे चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन के लिए–

(i) **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके चयन हेतु संबंधित विभाग/प्रमंडल/जिला द्वारा अपने विभागीय/प्रमंडलीय/जिला के website में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त आवेदन इस संकल्प की कंडिका 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किए जायेंगे। संबंधित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के

लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु निम्न प्रकार से चार स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी :–

(क) राज्यस्तरीय चयन समिति– समूह–'क' के पदों पर निम्नवत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर संविदा नियोजन किया जा सकेगा–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–सदस्य सचिव
(iv) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो	– विशेष आमंत्रित सदस्य
(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य

(ख) विभाग स्तरीय चयन समिति– समूह–'क' से भिन्न सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन निम्नवत् गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य

(iii) संबंधित प्रशासी विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून, पदाधिकारी, जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो – विशेष आमंत्रित सदस्य

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(ग) <u>प्रमंडल स्तरीय चयन समिति</u>– ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त अथवा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन **जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति** की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा। उक्त चयन समिति निम्नवत् होगी–

(i) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त – सदस्य

(iii) अपर समाहर्त्ता – सदस्य

(iv) संबंधित कार्यालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी, (जिनके अधीन संविदा नियोजन प्रस्तावित हो।) – सदस्य

(v) अनुसूचित जाति के उप समाहर्त्ता स्तर के एक पदाधिकारी (जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे) – सदस्य

(4) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी :–

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(v) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृखंला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद

पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अन्दर दिया जाना संभव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है।

(5) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(6) (i) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय निर्धारण की यह प्रकिया केवल संविदा के आधार पर नियोजन में ही लागू होगी, अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रकिया लागू नहीं होगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ii) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

(iii) पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर परिवहन एवं टेलीफोन की सुविधाएँ संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेगी तथा इस पर निर्णय नियोजन के समय ही संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(iv) सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(7) नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपकमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन–

(i) नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन सरकारी विभागों/कार्यालयों में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों का चयन भी उपर्युक्त उप कंडिका–(3) में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

(iii) ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

5. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

6. पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के संदर्भ में संकल्प के प्रावधान निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. पूर्व से इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/7/2015

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000 /पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/7/2015

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।